न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती शकुंतला, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 104 / 2022

प्रार्थी

01. सुजाराम पुत्र मांगीलाल जाति धांची निवासी अणदावाला वास सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली (राज0)।

बनाम

अप्रार्थीगण

01. मंगलाराम पुत्र जस्साराम
02. अमरती देवी पत्नी देवाराम
03. अमरती देवी पत्नी प्रतापराम
04. इन्दाराम पुत्र प्रतापराम
05. उरजाराम पुत्र कलाराम
06. गीता पुत्री देवाराम
07. नेमाराम पुत्र देवाराम
08. प्रेमदेवी पुत्री प्रतापराम
09. पारसमल पुत्र प्रतापराम
10. राजेश पुत्र देवाराम
11. सेणी देवी पुत्री देवाराम
12. हेमाराम पुत्र देवाराम जाति सीरवी निवासी धीनावास तहसील सोजत।
13. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

01. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री भवानीसिंह जैतावत अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक : 18/01/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा धीनावास पटवार हल्का धीनावास भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजत में प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.5600 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की स्थित हैं। प्रार्थी उक्त वर्णित कृषि भूमि के पास ही उत्तर—पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 मंगलाराम की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1421 रकबा 0.8800 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की स्थित हैं तथा प्रार्थी की कृषि भूमि के दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 1419 रकबा 1.5600 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 2 से 12 की आई हुई है, प्रार्थी की कृषि भूमि के पश्चिम दिशा में रास्ता खसरा संख्या 1418 किस्म गैर मुमकीन रास्ता की राज्य सरकार की आई हुई स्थित है। प्रार्थी की कृषि भूमि के चारो तरफ माठ लगी हुई है। जिस माठ को लेकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बीच आये दिन मन मुटाव व वाद विवाद होता रहता है। प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.5600 हेक्टर किस्म बारांनी अव्वल हैं, लेकिन मौके पर उक्त कृषि भूमि के चारो दिशा के पड़ोसी अप्रार्थीगण, प्रार्थी की कृषि भूमि को हड़पने हेतु प्रार्थी के खेत की माठ को अप्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में खिसकाते हुए अतिक्रमण करते हुए बीच की माठ को लेकर आपसी विवाद करते रहते हैं। दिनांक 24.06.2022 को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को मौके पर पटवारी हल्का को बुला कर सीमांकन करवाने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थीगण विवाद उत्पन्न करने लगे तथा प्रार्थी को धमकी दी कि जो जहाँ पर है, वैसा ही है, कोई माठो का माप चौक नहीं कराया जायेगा न ही खेतो का सीमांकन व पत्थरगढ़ी करवाई जायेगी। उपरोक्त धमकी के पश्चात् प्रार्थी अप्रार्थीगण के रवैये से एवम् लडाई झगड़ो से परेशान हो चुका है। प्रार्थी अपनी खातेदारीसुदा भूमि का सीमांकन करवा कर उक्त कृषि

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

भूमि का उपयोग व उपभोग करना चाहता है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र पेश कर सरहद मौजा धीनावास के खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.5600 हैक्टर का सीमाकंन किया जाकर मौके पर पुलिस, इमदाद के साथ पत्थर गठी कर मुटाम (मुड्डे) लगवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 से 05, 07 व 12 की ओर से अधिवक्ता श्री भवानी सिंह जैतावत ने वकालत पेश किया, सा.मि. है। अप्रार्थी सं0 1, 6 से 11, 13 के विरूद्ध दिनांक 15.11.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 12 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पैरा संख्या 01 अस्वीकार है। प्रार्थी सुजाराम ने दिनांक 16.06.2022 को जरिये बेचानरजिस्ट्री राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.5600 हैक्टर अवश्य खरीद की है, लेकिन यह खसरा नम्बर 1420 जो पूर्व में मिठालाल पुत्र किशनाराम जाति नाई निवासी धिनावास वाले को मात्र 0.4400 हैक्टर ही आवंटन हुआ था। बाद में सेटलमेन्ट में मिठालाल ने सेटलमेन्ट अधिकारीयों से मिलावट कर खसरा नम्बर 1419 रकबा 1.6800 हैक्टर में से 0.1200 हैक्टर कृषि भूमि खसरा नम्बर 1420 में मिलान करवा दी । उक्त भूमि का विवाद चल रहा है। उप खण्ड न्यायालय में वाद खारिज होन पर राजस्व अपील अधिकारी पाली में अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें खसरा नम्बर 1419 की सीमा से लगते हुए 12 एयर भूमि का खातेदार घोषित किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 12 को खसरा नम्बर 1419 में रकबा 0.1200 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया गया। इस प्रकार प्रार्थी ने जो कृषि भूमि खसरा नम्बर 1420 खरीद की है जिस पर मात्र 0.2200 हैक्टर का ही कब्जा प्राप्त किया है, लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये सीमांकन करवा कर पुलिस इमदाद के साथ पत्थरगढी करवा कर जोर जबरदस्ती कब्जा प्राप्त करना चाहता है जो कतई न्यायेचित नही है। प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश करना चाहिए था जो नही किया गया। अप्रार्थीगण के पक्ष में पारित निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील दर्ज करवाई गई जिसमें मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिमि का स्थगन प्रभावी है। तदोउपरान्त भी मिठालाल ने अपने सगे भाई गीगाराम के नाम उक्त विवादगस्त कृषि भूमि करवा दी ओर दिनाक 16.06.2022 को प्रार्थी सुंजाराम के नाम बेचान रजिस्ट्री करवादी इस प्रकार माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के स्थगन आदेश की पालना भी अपीलाण्ट मीठालाल ने नही की है। इस प्रकार जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण से संबंधित वाद माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन होने तथा प्रकरण में स्थगन प्रभावी होने से वादस्थ भूमि का सीमांकन व पत्थरगढी नही किये जाने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस प्रार्थना पत्र वकुलाय सुनी गई। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए वादस्थ भूमि की माठो को लेकर पक्षकारों में विवाद होने से मौके पर सीमांकन किया जाकर जरिये पत्थर गढी मुटाम कायम किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये भूमि पर कब्जा करना चाहते है। वादस्थ भूमि से संबंधित वाद माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है। वादस्थ भूमि पर मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन प्रभावी है। मौके की स्थिति को परिर्वतन नही किया जा सकता। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। मौजा धीनावास के खसरा नम्बर 1419 व 1420 से संबंधित वाद माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे विचाराधीन है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त प्रकरण में स्थगन होना जाहिर किया एवं स्थगन की आदेश व आदेशिकाओ की छाया प्रति फहरिस्त के साथ पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा स्थगन प्रभावी नही होने संबंधि कोई दस्तावेज पेश नही किये है। वादस्थ भूमि से संबंधित वाद माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है तथा स्थगन प्रभावी होने की स्थिति में अधिवक्ता प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित नही होता है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 भू0राजस्व अधिनियम 1956 पोषणीय नही होन से खारिज किया जाना न्यायोचित समझते है।

–: आदेश:–

उपरोक्त विवेचन/ विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 भू0राजस्व अधिनियम 1956 पोषणीय नही होन से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(शकुंतला)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

निर्णय आज दिनांक 18/01/2024 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(शकुंतला)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली